महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (फिरोजाबाद जनपद के सन्दर्भ में)

डॉ0 विनीता कटियार असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, नारायन कालेज, शिकोहाबाद

डॉ0 शिशिर कुमार वर्मा एसोसियेट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , अर्थशास्त्र विभाग, एस0आर0के0 महाविद्यालय, फिरोजाबाद

सारांश

देश के विकास मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण महिलाओ का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु समय– समय पर विभिन्न योजनाओ का निर्माण किया गया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी इसी दिशा मे एक प्रयास है। आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय तथा ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री डा० मनमोहनसिह तथा श्रीमती सोनिया गॉधी ने 2, फरवरी, 2006 को आंध्रप्रदेश के अनन्तपुरम जिले मे इस योजना का शुभारंभ किया था। यह अधिनियम प्रारम्भिक चरण में देश के 200 जिलो में लागू किया गया। धीरे– धीरे 5 वर्ष के अन्दर इसे सम्पूर्ण देश में लागू करने की व्यवस्था की गई है। फिरोजाबाद जनपद में यह योजना तीसरे चरण में लागू की गई। इस योजना के माध्यम से जनपद के गॉवों में रोजगार सृजन द्वारा बेकारी दूर कर ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया। प्रस्तुत पेपर '' महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (फिरोजाबाद जनपद के सन्दर्भ में) केद्वारा फिरोजाबाद जनपद मे मे इस अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण देखने का प्रयास किया गया है।तथा योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार की स्थिति, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, सम्पादित कार्यो की प्रगति का स्तर तथा सम्पत्ति सृजन का विश्लेषण का भी किया गया है विश्लेषण की अवधि वर्ष 2010 से 2013 है।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। देश के विकास मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण महिलाओ का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु समय– समय पर विभिन्न योजनाओ का निर्माण किया गया। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी इसी दिशा मे एक प्रयास है। आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय तथा ग्रामीण रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री डा० मनमोहनसिह तथा श्रीमती सोनिया गॉधी ने 2, फरवरी, 2006 को आंध्रप्रदेश के अनन्तपुरम जिले मे इस योजना का शुभारंभ किया था। यह अधिनियम प्रारम्भिक चरण में देश के 200 जिलो में लागू किया गया। धीरे– धीरे 5 वर्ष के अन्दर इसे सम्पूर्ण देश में लागू करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा के अन्तर्गत अगर आवेदनकर्ता को रोजगार नही मिल पाता है तो उन्हे बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है जो पहले एक महीने तक न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई फिर शेष वर्ष न्यूनतम मजदूरी का आधा दिया जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल मजदूरो मे कम से कम एक तिहाई महिलाओ को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के माध्यम से जनपद के गॉवों में रोजगार सृजन द्वारा बेकारी दूर कर ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया। मनरेगा के उद्देश्य मे रोजगार गारंटी से उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्राम से शहरो की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ –साथ ग्रामीण महिलाओ का सशक्तिकरण भी शामिल है।फिरोजाबाद जनपद में यह योजना तीसरे चरण में लागू की गई। इस योजना के माध्यम से जनपद के गॉवों में रोजगार सृजन द्वारा बेकारी दूर कर ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया।

अध्ययन पद्धति तथा आंकड़ो का संग्रह :

प्रस्तुत पेपर '' महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' (फिरोजाबाद जनपद के सन्दर्भ में) केद्वारा फिरोजाबाद जनपद मे मे इस अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण देखने का प्रयास किया गया है तथा योजना के अन्तर्गत सृजित रोजगार की स्थिति, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, सम्पादित कार्यो की प्रगति का स्तर तथा सम्पत्ति सृजन का विश्लेषण का भी किया गया है विश्लेषण की अवधि वर्ष 2010 से 2013 है।वित्तीय वर्ष 2012–13 को केवल दिसम्बर तक शामिल किया गया है। प्रस्तुत पेपर के अध्ययन हेतु मुख्यतः प्राथमिक तथा द्वितियक समंको का प्रयोग किया गया है। समंक मुख्यतः ग्रामीण

विकास मंत्रालय, शोध जनरल, विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, लेखों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के माध्यम से एकत्रित किए गयें।

अध्ययन के उद्देश्य :

हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य फिरोजाबाद जनपद में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की आर्थिक प्रगति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इसके लिये निम्न उद्देश्यों को शामिल किया गया है –

- *जनपद फिरोजाबाद में वित्त उपलब्धता तथा वित्त उपयोग का विश्लेषण*
- *फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित रोजगार की स्थिति का विश्लेषण*
- *फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान की स्थिति का विश्लेषण*
- *फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो की प्रगति का स्तर का विश्लेषण*
- *फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सम्पत्ति सृजन का विश्लेषण*

फिरोजाबाद जनपद में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण

मनरेगा का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो ,ऐसे परिवार जाँब कार्ड के लिये ग्राम पंचायत में आवेदन कर जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायत में काम के लिये आवेदन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर गाँव से 05 किलोमीटर की दूरी के अन्दर ही रोजगार उपलब्ध करातीहै। दूरी गाँव से 5 किलोमीटर से अधिक होने पर अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था है। अगर 15 दिन के अन्दर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से हर सप्ताह किया जाता है। मनरेगा के अन्तर्गत 33 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता करना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता, शेड उपलब्ध कराने के साथ–साथ शिशु सदन की भी व्यवस्था की गई है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुल व्यय का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेगी। मनरेगा योजना के उचित क्रियान्वयन के लिये ओडिटिंग की व्यवस्था है। फिरोजाबाद जनपद में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण निम्न प्रकार कर सकते हैं:–

*1–**मनरेगा के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में वित्त उपलब्धता तथा वित्त उपयोग का विश्लेषण**:–*

जनपद मे वित्त उपलब्धता घटी है। फिरोजाबाद जनपद को वर्ष 2010–11 में कुल 4474.5 लाख रू0 उपलब्ध कराये गये, फिरोजाबाद जनपद मे 2011–12 कुल वित्त उपलब्धता 3451.91 लाख रही जो वर्ष 2010–11 से 22.9 प्रतिशत कम है। वर्ष 2012–13 में वित्त उपलब्धता और घटकर 1893.84 लाख रूपये ही रह गई जो वर्ष 2010–11 की तुलना में आधी भी नहीं है। फिरोजाबाद जनपद को वर्ष 2010–11 में कुल 4474.5 लाख रू0 उपलब्ध कराये गये तथा जिसमें उपयोग (कुल व्यय) मात्र 2940.36 लाख रू0 ही किये गये। इस प्रकार कुल उपलब्ध वित्त का उपयोग मात्र 65.71 प्रतिशत ही किया गया, ब्लॉक स्तर पर कुल वित्त उपलब्धता 2681.61 लाख रू0 थी तथा कुल व्यय 2299.52 लाख था। अतः ब्लॉक स्तर पर वित्त उपयोग 85.75 प्रतिशत किया गया। जिला स्तर के कार्यो पर (क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से) वित्त उपयोग का प्रतिशत 89.22 रहा। डी पी सी (जिला कार्यक्रम समन्वयक) स्तर पर वित्त के उपयोग का प्रतिशत कम मात्र 1.66 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011–12 के उपयेाग का प्रतिशत 65.53 प्रतिशत था जबकि 2012–13 में वित्त उपयोग का प्रतिशत केवल 48.76 प्रतिशत ही रहा,जैसा तालिका– 1 में प्रदर्शित है–

तालिका 1

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत निकाय स्तर–वार वित्त उपलब्धता तथा वित्त उपयोग

वर्ष	स्तर	कुल वित्त उपलब्धता	कुल व्यय	वित्त उपयोग (प्रतिशत में)
2010–11	ब्लाक	2681.61	2299.52	85.75
	जिला परिषद स्तर के कार्यो पर कार्यान्वियन एजेन्सी	697.87	622.66	89..22
	डीपीसी	1095.02	18.18	1.66
	ज्नपद	4474.5	2940.36	65.71
2011–12	ब्लाक	2325.21	1759.85	75.68
	जिला परिषद स्तर के कार्यो पर कार्यान्वियन एजेन्सी	419.19	486.01	115.94
	डीपीसी	707.51	9.56	1.35
	ज्नपद	3451.91	2255.42	65.33
2012–13 (दिसम्बर तक)	ब्लाक	1580.55	878.81	55.60
	जिला परिषद स्तर के कार्यो पर कार्यान्वियन एजेन्सी	163.9	40.68	24.82
	डीपीसी	149.39	4.03	2.69
	ज्नपद	1893.84	923.52	48.76
2010–13	**योग**	9820.25	4938.79	50.29

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

यदि वर्ष 2010–13 तक वित्त उपयोग के प्रतिशत का आंकलन करें तो यह मात्र 50.29 प्रतिशत ही रहा अर्थात् जनपद में कुल आबंटित वित्त का मात्र आधा वित्त ही उपयोग किया गया। जनपद में जिला परिषद स्तर में वर्ष 2011–12 में आबंटित वित्त से अधिक वित्त का उपयोग किया गया। ब्लाक स्तर पर आबंटित धन का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया गया परन्तु डी पी सी स्तर पर वित्त उपयोग वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 में क्रमशः 1.66, 1.35 तथा 2.69 प्रतिशत मात्र किया गया जो नगण्य है। अतः फिरोजाबाद जनपद में डी पी सी स्तर पर वित्त का उपयोग उचित तरह से नहीं किया गया, जिसने जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा योजना की प्रगति तथा विकास कार्यो को प्रभावित किया।

विभिन्न वित्तीय वर्षो (2010–13) में मनरेगा के अन्तर्गत कुल 6119.30 लाख व्यय किये गये जिसमें से 4255.28 लाख अकुशल श्रम पर, 114.66 लाख अर्द्ध कुशल तथा कुशल श्रम पर, 1403.28 लाख सामिग्री पर तथा 235.42 लाख रू0 प्रशासनिक कार्यो पर व्यय हुआ जिसका प्रदर्शन तालिका संख्या –2में किया गया है–

तालिका–2

जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये व्यय का मदवार विवरण (लाख रु० मे)

वर्ष	कुल वित्त उपलब्धता	कुल व्यय					शेष
		अकुशल श्रम पर	कुशल श्रम एवं अर्द्धकुशल श्रम पर	सामिग्री पर	प्रशासनिक व्यय	कुल	
2010–11	4474.5	1737.32	85.38	995.77	121.9	2940.36	1534.14103
2011–12	3451.91	1793.84	22.19	282.58	156.32	2255.42	1196.49348
2012–13 (दिसम्बर तक)	1893.84	724.12	7.09	124.93	66.91	923.52	970.33121
योग	9819.25	4255.28	114.66	1403.28	235.42	6119.30	2700.96572

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

तालिका –2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में कुल 2940 लाख रूपये व्यय किये गये जिसमें से अकुशल श्रम पर 1737.32 लाख तथा कुशल श्रम एवं अर्द्धकुशल श्रम पर 85.38 लाख रूपये सामिग्री पर 995.77 लाख रू0 व्यय किये गये। जबकि वर्ष 2012–13 दिसम्बर तक में कुल व्यय घट कर 923.52 लाख ही रह गया। जिसमें अकुशल श्रम पर व्यय 724.12 लाख अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रम पर 7.09 लाख तथा सामिग्री पर कुल 124.93 लाख व्यय किया गया।

चित्र संख्या –1 से स्पष्ट है कि जनपद में विभिन्न वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत कुल वित्त उपलब्धता वित्त उपलब्धता घटी है तथा कुल वित्त व्यय भी घटा है। जनपद में कुल आबंटित वित्त का मात्र आधा वित्त ही उपयोग किया गया। जनपद में श्रम तथा सामिग्री के अनुपात का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत मद अनुसार निर्धारित व्यय के अनुपात का पालन किया गया। मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत अकुशल श्रम तथा सामिग्री के मध्य व्यय का अनुपात कम से कम 60:40 होना चाहिए, जिसका पालन जनपद में किया गया।

चित्र–1

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत कुल वित्त उपलब्धता तथा कुल वित्त व्यय (लाख रु० मे)

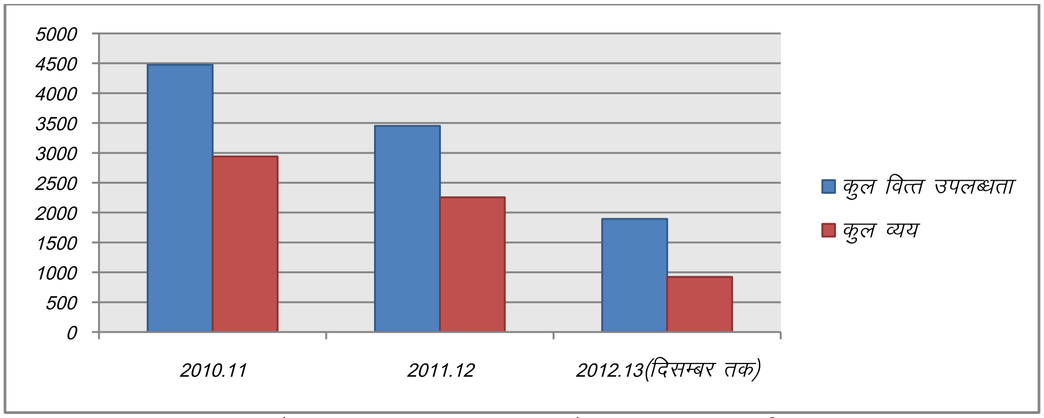

स्रोत– तालिका संख्या –2 के आघार पर निर्मित

जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा योजना अधिनियम की अनुसूची–1 के तहत प्रावधानित विभिन्न कार्यो पर व्यय किया गया। मनरेगा परियोजना में वर्ष 2010–11 में ग्रामीण सम्पर्कता से सम्बन्धित 16749 कार्य किये गये जिस पर कुल व्यय 1620.56 लाख रू0 व्यय किये गये। यह कुल व्यय का 55.11 प्रतिशत थी। विभिन्न कार्यो की संख्या तथा उन पर किया गया कुल व्यय तालिका संख्या– 3 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका– 3

जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो परव्यय (लाख रू0 मे)

कार्यध्कार्यो पर व्यय	2010–11		2011–12		2012–13(दिसम्बर तक)	
	कुल व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	प्रतिशत	कुल व्यय	प्रतिशत
ग्रामीण सड़क सम्पर्कता	1620.56	55.11	1165.69	51.68	700.88	74.81
जल संरक्षण तथा जल संचयन	238.25	8.10	312.87	13.87	25.02	2.61
परंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	203.43	6.91	75.58	3.35	14.17	1.53
बाढ़ नियन्त्रण	91.66	3.11	51.17	2.26	19.58	2.12
सूखा रोधन	107.94	3.67	32.71	1.45	15.33	1.65
सिंचाई नहरें	154.99	5.27	130.28	5.77	3.84	4.14
सिंचाई सुविधा SC@ST@IAY/LR वर्ग के लिये	62.94	2.14	32.21	1.42	3.84	0.41
भूमि विकास	295.02	10.03	299.31	13.27	10.66	1.15
भारत निर्माण राजीव गाधी सेवा केन्द्र	8.24	0.28	87.46	3.87	38.50	4.17
अन्य कार्य	35.41	1.20	39.13	1.73	4.95	0.53
ग्रामीण स्वच्छता		.		.	0.19	0.49

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

सभी वर्षो में सबसे ज्यादा कार्य सड़क सम्पर्कता के कराये गये। वर्ष 2012–13 में सड़क सम्पर्कता से सम्बन्धित 16794 कार्य किये गये जिन पर 700.88 लाख रू0 व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त जल संवर्धन, संरक्षण तथा निर्माण से सम्बन्धित कार्यो पर जिसमें सूखा रोधन, सिंचाई नहरें, बाढ़ नियन्त्रण तथा पुराने जल निकायों का नवीनीकरण शामिल है, में वर्ष 2010–11 में 869.21 लाख रू0, 2011–12 में 634.42 लाख , 2012–13 में 81.78 लाख रू0 व्यय किये गये। भूमि विकास में वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान क्रमशः 295.02 लाख, 299.31 लाख तथा 10.66 लाख रू0 व्यय किये गये। ग्रामीण स्वच्छता पर वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 पर कोई रूपया व्यय नहीं किया गया जबकि 2012–13 में केवल बहुत कम मात्रा में व्यय किया गया। चित्र–2 से स्पष्ट है कि फिरोजाबाद जनपद में विभिन्न वित्तीय वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों में से मुख्यतः व्यय सड़क सम्पर्कता पर किया गया। सड़क सम्पर्कता पर वर्ष 2010–11 में 55.11 प्रतिशत व्यय किया गया। वर्ष 2011–12 में यह व्यय बढ़कर 51.68 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012–13 में सड़क सम्पर्कता पर 74.81 प्रतिशत व्यय किया गया, यह कुल व्यय का 3/4 भाग है। इसके अतिरिक्त जल संवर्धन, संरक्षण तथा निर्माण से सम्बन्धित कार्यो पर जिसमें सूखा रोधन, सिंचाई नहरें, बाढ़ नियन्त्रण तथा पुराने जल निकायों का नवीनीकरण शामिल है, में वर्ष 2010–11 में 29.20 प्रतिशत, 2011–12 में 28.14 प्रतिशत तथा 2012–13 में 12.46 प्रतिशत व्यय किया गया। भूमि विकास में वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान क्रमशः 10.3 तथा 13.27 प्रतिशत व्यय किया गया जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान यह व्यय मात्र 1.15 प्रतिशत ही रह गया। अन्य कार्यो में 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 में क्रमशः 1.20,1.73 तथा 0.53 प्रतिशत व्यय किया गया।

चित्र–2

विभिन्न वर्षों में जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो व्यय (प्रतिशत मे)

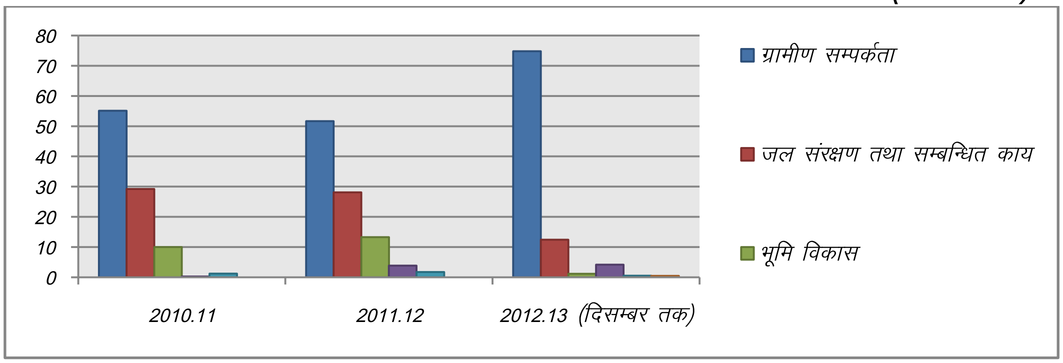

स्रोत– तालिका संख्या –3 के आघार पर निर्मित

फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित रोजगार की स्थिति का विश्लेषण

मनरेगा के अन्तर्गत सृजित रोजगार ग्रामीण परिवारों को रोजगार की मॉग करने तथा पंजीकरण करने के 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मनरेगा के अन्तर्गत सृजित रोजगार का विश्लेषण निम्न शीर्षक के अन्तर्गत करेंगे।

रोजगार की माँग तथा पूर्ति :–जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2010–11 में 42739 परिवारों के द्वारा रोजगार की मॉग की गई तथा 42469 परिवारों को मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया। अतः वर्ष 2010–11 के मध्य रोजगार की मॉग तथा पूर्ति के मध्य अन्तर 270 रहा। वर्ष 2011–12 में 44255 परिवारों द्वारा रोजगार की मॉग की गई तथा केवल 43997 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अतः रोजगार का अन्तर वर्ष 2011–12 में 258 रहा वर्ष 2012–13 में 25693 परिवारें द्वारा रोजगार की मॉग की गई परन्तु मात्र 25574 परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। अतः वर्ष 2012–13 में रोजगार अन्तर 119 रहा।
स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मॉग तथा रोजगार की उपलब्धता मेबहुतंकम अन्तर पाया गया। वर्ष 2011–12 में रोजगार की मॉग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तथा रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ भी गई। वर्ष 2012–13 में रोजगार की मॉग तथा रोजगार उपलब्ध कराया घट गई।

वर्ष 2010–11 में मनरेगा के अन्तर्गत कुल 42469 परिवारें को रोजगार दिया गया जिसमें से 33002 वे परिवार थे, जिन्होंने वर्ष 2009–10 में भी मनरेगा के अन्तर्गत कार्य किया था जबकि 9467 नये परिवार वर्ष 2010–11 में ही मनरेगा कार्यक्रम से जुडे, उनको रोजगार दिया गया।

तालिका–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में 42738 परिवारों तथा 54457 व्यक्तियों द्वारा रोजगार की मॉग की तथा 42467 परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2011–12 में रोजगार की मॉग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 56896 हो गई जबकि रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर 56569 हो गई।

तालिका–4
जनपद में विभिन्न वर्षों में मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत		जॉब कार्ड जारी	रोजगार की मॉग		रोजगार की पेशकश		उपलब्ध कराया गया रोजगार		
	परिवार	व्यक्ति		परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	व्यक्तिदिवस
2010–11	82227	110560	82030	42738	54457	42727	54437	42467	54091	1806841
2011–12	89003	122246	88600	44255	56898	44251	56892	43997	56569	1554097
2012–13 (दिसम्बर तक)	88384	121430	87880	25732	33682	25732	33682	25642	33558	601950
कुल योग	259614	354236	258510	112725	145037	112710	145011	112106	144218	3962888

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

वर्ष 2012–13 में 33682 व्यक्तियों ने रोजगार की मॉग की जबकि 33558 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2010–11 में कुल 18.06841 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित कर कुल 42467 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में क्रमशः कुल 15.54097 तथा 5.94350 रोजगार दिवस सृजित किये गये तथा क्रमशः 43997 तथा 25555 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

अवधि के अनुसार प्रदान किया गया रोजगार की स्थिति का विश्लेषण :–

मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों को वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है परन्तु मनरेगा के अन्तर्गत संलग्न पंजीकृत सभी परिवारों को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कुल कार्यरत परिवारों में से मात्र 4000 (1472+2528) परिवारों को वर्ष में 100 दिन या उससे अधिक रोजगार उपलब्ध कराया गया जो मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत कुल परिवारों का मात्र 3.62 प्रतिशत है। जबकि 65.21 प्रतिशत परिवारों को वर्ष में मात्र 40 दिन या उससे कम रोजगार उपलब्ध कराया गया। 24.21 प्रतिशत परिवारों को वर्ष में 41 से 80 दिवस के मध्य रोजगार उपलब्ध कराया गया, जबकि वर्ष में 81 से 99 दिवस के मध्य कुल 6.96 प्रतिशत परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध हो पाया। जबकि वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक 39. 55288 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किया गया।

सामाजिक समावेशन :–

मनरेगा के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों का पंजीकरण किया जाता है तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुल पंजीकृत परिवारों में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी का विवरण तालिका संख्या 5 में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका–5

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी पी एल परिवार/श्रमिक

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या (प्रतिशत में)				पंजीकृत श्रमिको की संख्या (प्रतिशत में)		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	बी पी एल परिवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
2010–11	29.53	0.26	70.21	10.31	31.34	0.27	68.39
2011–12	29.53	0.21	70.26	9.64	31.61	0.23	68.17
2012–13 (दिसम्बर तक)	29.51	0.17	70.31	9.58	31.60	0.20	68.20
कुल	29.52	0.21	70.26	9.84	31.51	0.23	68.25

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

तालिका 5 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत कुल पंजीकृत परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में 29.53 तथा वर्ष 2012–13 में 29.51 प्रतिशत था जबकि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत नगण्य था। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले वर्ष 2010–11 में केवल 10.31 प्रतिशत परिवारों का मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया। यह प्रतिशत वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में घटकर क्रमशः 9.64 तथा 9.58 रह गया। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कुल पंजीकृत व्यक्तियों में 31.34 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 0.25 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 68.39 प्रतिशत अन्य जातियों के व्यक्ति शामिल थे। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में भी लगभग यही क्रम रहा।

जनपद फिरोजाबाद में मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कुल निर्गत जॉब कार्ड में 24370 अनुसूचित जाति, 167 अनुसूचित जनजाति तथा 57493 अन्य जाति के परिवारेां को निर्गत किय गये। वर्ष 2011–12 में कुल 88576 जॉब कार्ड निर्गत किये गये जिसमें से 26343 अनुसूचित जाति के परिवारों के नाम निर्गत हुए, वर्ष 2012–13 में निर्गत कुल 87856 जॉब कार्डो में 26203 अनुसूचित जाति तथा 150 अनुसूचित जनजाति के परिवारेां को निर्गत हुए है। वर्ष 2010–11 में कुल 11391 अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। यह संख्या वर्ष 2011–12 में बढ़कर 13577 हो गई। अनुसूचित जनजाति की संख्या वर्ष 2010–11 में 88 थी जो वर्ष 2011–12 में 69 तथा 2012–13 में 40 रह गई। मनरेगा के अन्तर्गत कुल सृजित व्यक्ति

दिवसों में भी विभिन्न वर्गो की सहभागिता रही। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कुल सृजित 1806841 व्यक्ति दिवसों मे से 478064 व्यक्ति दिवस अनुसूचित जाति तथा 4103 व्यक्ति दिवस अनुसूचित जनजाति को रोजगार दिया गया। वर्ष 2012–13 में 1554097 कुल सृजित व्यक्ति दिवस में से अनुसूचित जाति 484670 व्यक्ति दिवस, अनुसूचित जनजाति को 2271 दिवस रोजगार दिया गया।मनरेगा के अन्तर्गतविभिन्न वर्षो में कुल सृजित व्यक्ति दिवस रोजगार अनुसूचित जाति की सहभागिता 29.3 प्रतिशत तथा 0.18 प्रतिशत सहभागिता अनुसूचित जनजाति की 29.3 प्रतिशत सहभागिता अन्य जाति पायी की गई। कि वर्ष 2010–11 में 26.82 प्रतिशत सहभागिता अनुसूचित जाति तथा 0.21 प्रतिशत सहभागिता अनुसूचित जनजाति की पायी गई।

चित्र–3

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत कुल सृजित व्यक्ति दिवस रोजगार मे अनुसूचित जाति/जनजाति की सहभागिता(प्रतिशत मे)

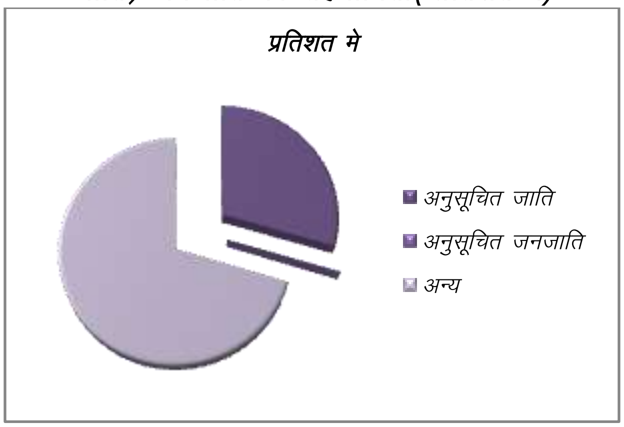

स्रोत– तालिका 5 के आधार पर निर्मित

चित्र–3 से स्पष्ट है मनरेगा के अन्तर्गतविभिन्न वर्षो में कुल सृजित व्यक्ति दिवस रोजगार अनुसूचित जाति की सहभागिता 29.3 प्रतिशत तथा 0.18 प्रतिशत सहभागिता अनुसूचित जनजाति की 29.3 प्रतिशत सहभागिता अन्य जाति पायी की गई। कि वर्ष 2010–11 में 26.82 प्रतिशत सहभागिता अनुसूचित जाति तथा 0.21 प्रतिशत सहभागिता अनुसूचित जनजाति की पायी गई। वर्षवार स्थित के अवलोकन से स्पष्ट है कि फिरोजाबाद जनपद में अनुसूचित जाति की मनरेगा में सहभागिता में सुधार आया है। यह वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में बढ़कर क्रमशः 30.86, 31.72 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की मनरेगा में सहभागिता घटी है यह घटकर 2011–12 तथा 2012–13 में 0.16 प्रतिशत ही रह गई।

<u>मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण</u> :–

मनरेगा के अन्तर्गत कुल सृजित रोजगार में एक तिहाई रोजगार महिलाओं को देने की व्यवस्था की गई है। फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं का पंजीकरण एक तिहाई से बहुत कम हुआ। वर्ष 2010–11 में कुल पंजीकृत 93145 मजदूरों में से मात्र 6.98 प्रतिशत (6504) महिलायें ही पंजीकृत हुई। वर्ष 2011–12 में महिलाओं की पंजीकरण की दशा में कुछ सुधार हुआ यह बढ़कर कुल पंजीकरण का 8.57 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012–13 में महिलाओं का पंजीकरण मनरेगा के अन्तर्गत और अधिक हुआ यह बढ़कर कुल का 10.33 प्रतिशत हो गया परन्तु यह भी मनरेगा के अन्तर्गत आबंटित 1/3 से कम है,।

वर्ष 2010–11 में कुल पंजीकृत 6504 महिलाओं में से मात्र 4666 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अतः पंजीकरण तथा रोजगार उपलब्धता का अन्तर 1838 रहा। वर्ष 2011–12 में पंजीकृत 10163 महिलाओं में से मात्र 5904 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जबकि वर्ष 2012–13 में पंजीकृत 12765 महिलाओं में से मात्र 4894 महिलाओं को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया।

तालिका–6
जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं प्रदान किया गया रोजगार

वर्ष	कुल व्यक्ति जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया	महिला लाभार्थी	प्रतिशत
2010–11	54091	4666	8.63
2011–12	56569	5904	10.44
2012–13 (दिसम्बर तक)	33558	4898	14.60
कुल योग	144218	15468	10.76

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

तालिका 6 से स्पष्ट है कि कुल सृजित व्यक्ति दिवसो में महिला सहभागिता बहुत कम है यह वर्ष 2010–11 में मात्र 5.60 प्रतिशत है जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर 8.04 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2012–13 में सम्पूर्ण फिरोजाबाद जनपद में कुल सृजित व्यक्ति दिवसों में महिला सहभागियों का प्रतिशत बढ़ा है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

चित्र–4
जनपद में विभिन्न वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध कुल रोजगार मे महिलाओं की सहभागिता

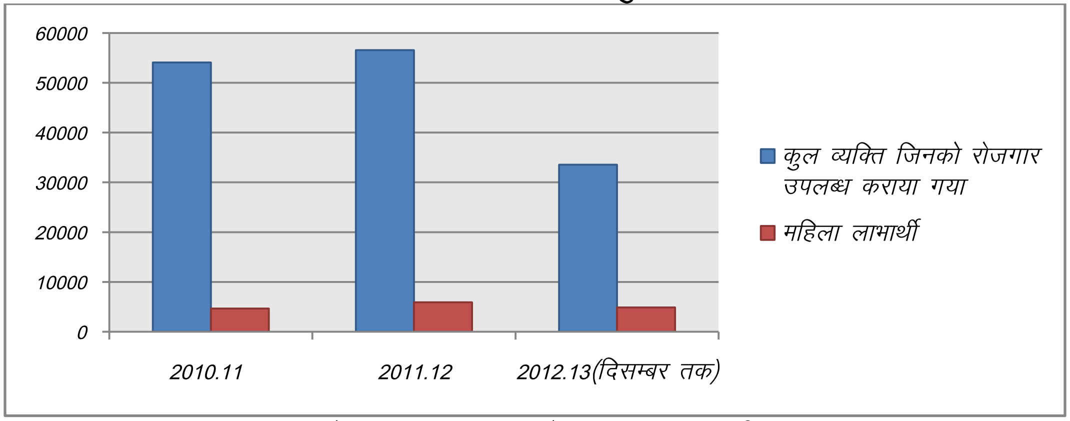

स्रोत– तालिका –6 के आघार पर निर्मित

जैसा चित्र–4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में कुल मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार पाने वाले 54091 व्यक्तियों में से 4666 महिला लाभार्थी थी। वर्ष 2011–12 में मनरेगा के अन्तर्गत 56569 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया, जिनमें से 5904 महिला लाभार्थी थी। वर्ष 2012–13 में मनरेगा के अन्तर्गत 33558 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया, जिनमें से 4858 महिला लाभार्थी थी। वर्ष 2010–11 में 8.63 प्रतिशत, 2011–12 में 10.44 प्रतिशत तथा वर्ष 2012–13 में मात्र 14.60 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को मनरेगा में रोजगार प्रदान किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद में महिलाओं की मनरेगा योजना के अन्तर्गत सहभागिता बहुत कम है। यह मनरेगा अधिनियम में निहित एक तिहाई के प्रावधान से बहुत कम है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता 50 प्रतिशत से अधिक है वहीं जनपद फिरोजाबाद में महिलाओं की सहभागिता मात्र 10.76 प्रतिशत ही है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान की स्थिति का विश्लेषण

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी वाधा होती है भृष्टाचार। कई बार नौकरशाहों तथा पंचायतों के कर्मचारी मिलकर बेनामी श्रमिकों के मस्टररोल बनाकर उनके नाम से वेतन का भुगतान कर राशि हड़प लेते हैं या मस्टर रोल में शामिल श्रमिकों के काम पर आने के दिन बढ़ा कर भुगतान ले लिया जाता है। चूँकि मनरेगा में मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के माध्यम से 15 दिन के अन्दर करने का प्रावधान है जिससे न सिर्फ शोषण तथा भृष्टाचार में कमी आई है वरन् मजदूरों में बचत करने तथा उस पर बैंक द्वारा

ब्याज पाने की समझ भी बढ़ने लगी है। जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत वितरित की गई मजदूरी का विवरण तालिका संख्या 7 में दर्शाया गया है।

तालिका–7
जनपद में विभिन्न वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत वितरित मजदूरी (लाख रु० मे)

वर्ष	मजदूरी पर व्यय	खातों के माध्यम से वितरित की गई मजदूरी		कुल वितरित राशि	नकद या अन्य माध्यम से भुगतान की गई मजदूरी
		बैंक	डाकघर		
2010–11	1737.32	1193.71	362.99	1556.70	180.62
2011–12	1793.84	1435.53	412.73	1848.26	.54.42
2012–13 (दिसम्बर तक)	724.12	572.68	160.76	733.44	.9.32

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

तालिका 7 से स्पष्ट है कि फिरोजाबाद जनपद में वर्ष 2010–11 में कुल मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के खातों के माध्यम से नहीं किया गया। कुल 1737.32 लाख मजदूरी की राशि से मात्र 1556.70 लाख राशि ही बैंक या डाकघर खातों के माध्यम से वितरित की गई शेष 180.62 लाख मजदूरी नकद या अन्य माध्यम से भुगतान की गई। शेष 2011–12 तथा 2012–13 वर्षो में सम्पूर्ण मजदूरी का भुगतान बैंक तथा डाकघर खातों के माध्यम से किया गया। वर्ष 2011–12, 2012–13 में मजदूरी पर कुल व्यय से अधिक भुगतान बैंक तथा डाकघर के माध्यम से किया गया। वर्ष 2011–12 में मजदूरी अप्रेल 2011 से अप्रेल 2012 तक 120 रू0 रही केवल मई 2012 से मजदूरी बढ़कर फिरोजाबाद जनपद में 125 रू0 प्रति दिवस भुगतान की गई।

तालिका–8
जनपद में विभिन्न वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत औसत/प्रति व्यक्ति दिवस की लागत तथा मजदूरी

वर्ष	मजदूरी प्रति व्यक्ति दिवस (रू0 मे)	लागत प्रति व्यक्ति दिवस (रू0 मे)	प्रति कार्य औसत श्रमिक संख्या	प्रति कार्य औसत व्यक्ति दिवस
2010–11	94.92	160.89	0	237.09
2011–12	114.97	144.64	6.5	178.63
2012–13 (दिसम्बर तक)	121.68	155.09	8.62	153.3

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

तालिका 8से स्पष्ट है कि फिरोजाबाद जनपद में प्रति व्यक्ति दिवस औसत मजदूरी वर्ष 2010–11 में 94.92 रू0 थी जो केन्द्र द्वारा मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढने के कारण वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में बढ कर क्रमशः 114.97 रू0 तथा 121.68 रू0 हो गई। फिरोजाबाद जनपद में प्रति व्यक्ति दिवस की लागत वर्ष 2010–11 में 160.89 रू0 थी जो वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में क्रमशः 144.64 तथा 155.09 रू0 हो गई। फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत प्रति कार्य श्रमिकों का औसत संख्या वर्ष 2011–12 में 6.5 तथा वर्ष 2012–13 में बढ़कर 8.62 हो गई। प्रति कार्य औसत व्यक्ति दिवसों की संख्या वर्ष 2010–11 में 237.09, वर्ष 2011–12 में 78.63 तथा वर्ष 2012–13 में 153.3 था। अर्थात प्रति कार्य औसत व्यक्ति दिवसों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी गई।

फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो की प्रगति का स्तर का विश्लेषण

मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की विवेचना मनरेगा के अंतर्गत ग्राम स्तर पर संचालित कार्यो का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्तर पर सम्पन्न कराये जाते हैं। ब्लाक स्तर पर कार्यो का

संचालन पंचायत समिति या माध्यमिक पंचायत के माध्यम से किया जाता है। माध्यमिक पंचायत उन 50 प्रतिशत कार्यों को भी संचालित करता है जिन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। जिला स्तर पर कार्य के संचालन तथा निगरानी का कार्य जिला पंचायत करती है। इन तीनों निकार्यों के अतिरिक्त क्रियान्वयन निकाय जिनमें स्वैच्छिक संगठन, केन्द्र तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम तथा स्वयं सहायता संगठन शामिल हैं, भी मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यों को निष्पादित करती है। तालिका 9 से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों में मनरेगा के अन्तर्गत 20243 कार्य शुरू किये गये जिनमें से 12894 कार्य पूर्ण कर लिये गये तथा 7349 कार्य प्रगतिशील रहे।

तालिका–9
जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कुल कार्य

वर्ष	पूर्ण कार्य	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	कुल कार्य
2010–11	3724	3908	7632
2011–12	6934	1768	8702
2012–13 (दिसम्बर तक)	2236	1760	3897
कुल कार्य	12894	7436	20231

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कुल 7632 कार्य सम्पादित किये गये जिसमें से 3724 कार्य पूर्ण कर लिये गये 3908 कार्य अभी भी चल रहे हैं या निलम्बित हैं। वर्ष 2011–12 में मनरेगा के अन्तर्गत 8702 कार्य सम्पादित किये गये जिनमें से 6934 कार्य पूर्ण कर लिये गय, शेष 1768 कार्य प्रगतिशील या निलम्बित हैं। वर्ष 2012–13 में कुल 3897 कार्य सम्पादित किये गये जिनमें से 2236 कार्यपूर्ण कर लिये गये शेष प्रगतिशील या निलम्बित है जिसका विवरण तालिका संख्या 9 तथाचित्र–5में प्रदर्शित है।

चित्र–5
जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये कुल कार्य

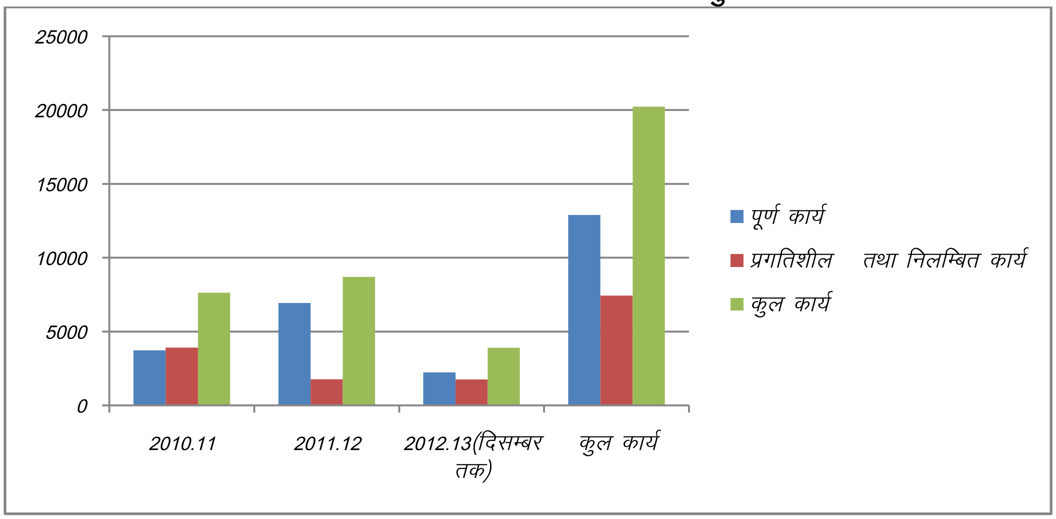

स्रोत– तालिका –9 के आघार पर निर्मित

जनपद में विभिन्न वर्षो में कुल 19814 कार्य संचालित किये गये जिनमें से ग्राम पंचायत स्तर पर 15032 (75.86)कार्य, ब्लाक पंचायत स्तर पर 354 (1.79)कार्य तथा जिला पंचायत स्तर पर 4428(22.35)कार्यों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2010–11 में जनपद में कुल 7632 कार्य संचालित किये गये जिनमें से ग्राम पंचायत स्तर पर 5730 कार्य, ब्लाक पंचायत स्तर पर 214 कार्य तथा जिला पंचायत स्तर पर 1708 कार्यों का निष्पादन किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित कार्यों में से 5524 कार्य तथा अन्य कार्यान्वयन निकायों द्वारा 206 कार्य संचालित किये गये। वर्ष 2010–11 में ब्लाक पंचायत स्तर पर संचालित कार्यों में से पंचायत समिति द्वारा

126 कार्य तथा अन्य कार्यान्वयन निकायो द्वारा 68 कार्य किये गये। जिला स्तर पर सम्पादित 1708 कार्यो में से 3 कार्य जिला पंचायत द्वारा शेष 1705 कार्य अन्य कार्यान्वयन निकायो द्वारा सम्पादित किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित कार्यो पर कुल व्यय 1917.5 लाख रूपये, माध्यमिक पंचायत द्वारा सम्पादित कार्यो में कुल 164.01 लाख तथा जिला पंचायत द्वारा संचालित कार्यो में मात्र 0.1 लाख रूपये व्यय किये गये। कार्यो के सम्पादन हेतु व्यय का 74.04 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा तथा 25.96 प्रतिशत अन्य कार्यान्वयन निकायों द्वारा व्यय किया गया। ग्राम पंचायत स्तर तथा अन्य कार्यान्वयन निकायों के स्तर पर प्रतिशत के आधार पर आकलन से स्पष्ट है तो वर्ष 2010–11 में 72.38 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तथा 27.62 प्रतिशत कार्य अन्य कार्यान्वयन निकायों द्वारा संचालित किये गये।

चित्र–6
जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न वर्षोके लिये कार्य निष्पादन में व्यय विभिन्न स्तर पर (प्रतिशत मे)

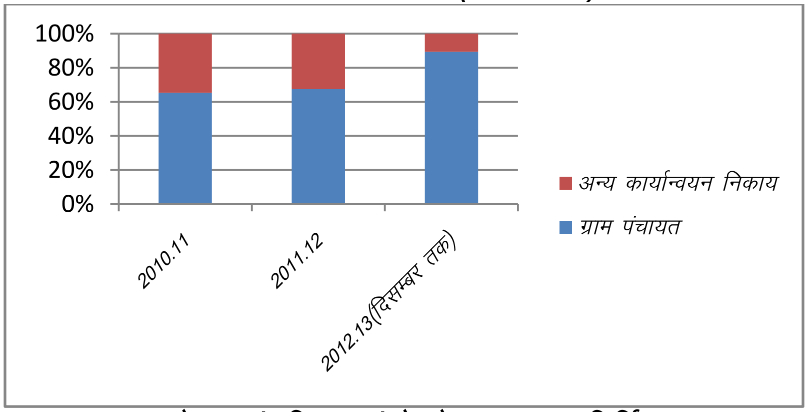

स्रोत : संकलित समंको के आधार पर निर्मित

कार्यो के सम्पादन हेतु व्यय का 65.28 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा तथा 34.75 प्रतिशत अन्य कार्यान्वयन निकायों द्वारा व्यय किया गया। वर्ष 2011–12 में ग्राम पंचायत स्तर पर 73.22 प्रतिशत कार्य सम्पादित किये गये जिस पर कुल व्यय का 67.46 प्रतिशत किये गये। वर्ष 2012–13 में ग्राम पंचायत स्तर पर 80.47 प्रतिशत कार्य सम्पादित किये गये जिस पर 89.38 प्रतिशत रू0 व्यय किये गये। अन्य कार्यान्वयन निकायों द्वारा 2330 (26.78 प्रतिशत) कार्य सम्पादित किये गये जिस पर 711.92 (32.54 प्रतिशत) व्यय किया गया। वर्ष 2012–13 में मात्र 19.53 प्रतिशत कार्य अन्य कार्यान्वयन निकायों द्वारा संचालित किये गये। स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कुल कार्यो में से 3/4 भाग कार्य ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित किये गये, शेष कार्य अन्य कार्यान्वयन निकायो द्वारा निष्पादित हुए। व्यय की विवेचना से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा केवल कुल व्यय का 2/3 भाग ही व्यय किया, शेष 1/3 भाग अन्य कार्यान्वयन निकायो द्वारा व्यय किया गया।

मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची–1 में सम्मलित विभिन्न कार्यो को जनपद में सम्पादित किया गया। जनपद में विभिन्न वर्षो में सड़क सम्पर्कता पर सबसे ज्यादा वरीयता दी गयी तथा सड़क सम्पर्कता सम्बन्धित गत तीन वर्षो में 11377 कार्य सम्पादित किये गये। भूमि विकास से सम्बन्धित 1752 कार्य किये गये। जल संरक्षण तथा सम्बन्धित निर्माण (जिसमें जल संरक्षण तथा संचयन, पारम्परिक जल निकायो का नवीनीकरण, बाढ़ नियन्त्रण, सूखा रोधन तथा सिंचाई नहर तथा सिंचाई सुविधा अनुसूचित जाति/ जनजाति /IAY/LR शामिल है) से सम्बन्धित कुल 7806 कार्य सम्पादित किये गये जिसमें सबसे ज्यादा वरीयता सिंचाई सुविधा अनुसूचित जाति/जनजाति/IAY/LR/ वरीयता में द्वितीय क्रम सिंचाई नहर को दिया गया जिसमें सम्बन्धित 1430 कार्य सम्पादित किये गये जिसमें से पूर्ण कार्य 776 सूखा रोधन से सम्बन्धित 1400 कार्य, जिसमें से पूर्ण 721 जल संरक्षण तथा संचयन से सम्बन्धित 1185 कार्य किये गये जिसमें से 712 कार्य पूर्ण कर लिये गये। पारम्परिक जल निकायो के नवीनीकरण से सम्बन्धित 518 कार्य शुरू हुए जिसमें से 338 पूर्ण कर लिये गये। इस क्रम में बाढ़ नियन्त्रण पर सबसे कम ध्यान दिया गया तथा इससे सम्बन्धित मात्र 481 कार्य सम्पादित हुए जिनमें से 260 कार्य पूर्ण कर लिये गये। जिसका विवरण तालिका संख्या 10 में दिया गया है।

तालिका 10
जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की कार्यवार प्रगति

कार्यों की संख्या		2010–11	2011–12	2012–13 (दिसम्बर तक)	कुल कार्य
ग्रामीण सम्पर्कता	पूर्ण	1881	3224	1522	6627
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	1814	1036	900	3750
	कुल कार्य	3695	4260	2422	11377
	प्रतिशत	48.41	48.95	61.15	56.23
जल संरक्षण तथा जल संचयन	पूर्ण	170	418	124	712
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	312	123	38	473
	कुल कार्य	482	541	162	1185
	प्रतिशत	6.32	6.22	4.16	5.86
परंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	पूर्ण	98	180	60	338
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	118	54	8	180
	कुल कार्य	216	234	68	518
	प्रतिशत	2.83	2.69	1.74	2.56
बाढ़ नियन्त्रण	पूर्ण	69	172	19	260
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	144	25	52	221
	कुल कार्य	213	197	71	481
	प्रतिशत	2.79	2.26	1.82	2.38
सूखा रोधन	पूर्ण	185	450	86	721
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	450	86	143	679
	कुल कार्य	635	536	229	1400
	प्रतिशत	8.32	6.16	5.88	6.92
सिंचाई नहरें	पूर्ण	108	522	146	776
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	462	107	85	654
	कुल कार्य	570	629	231	1420
	प्रतिशत	7.47	7.23	5.93	7.02
सिंचाई सुविधा के लिये	पूर्ण	959	1092	97	2148
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	177	147	320	644
	कुल कार्य	1136	1239	417	2792
	प्रतिशत	14.88	14.24	10.70	13.80
भूमि विकास	पूर्ण	134	791	171	1096
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	380	175	101	656
	कुल कार्य	514	966	278	1752
	प्रतिशत	6.73	11.10	7.13	8.66
भारत निर्माण राजीव गाधी सेवा केन्द्र	पूर्ण	0	3	2	5
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	3	4	3	10
	कुल कार्य	3	7	5	15
	प्रतिशत	0.04	0.08	0.13	0.07
अन्य कार्य	पूर्ण	20	82	9	111
	प्रगतिशील /निलम्बित कार्य	47	11	19	77
	कुल कार्य	67	93	28	188
	प्रतिशत	0.88	1.07	0.72	0.93

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

तालिका 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 में सम्पादित कार्यों में से ग्रामीण सम्पर्कता कार्यों का प्रतिशत 49.06 जल से सम्बन्धित कार्यों जिसमें जल संरक्षण संचयन, पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण सूखा रोधन बाढ नियन्त्रण नहर सिंचाई सुविधा अनुसूचित जाति/जनजाति/IAY/LR शामिल है, का प्रतिशत 41.85 तथा भूमि विकास से सम्बन्धित कार्यों का कुल कार्यों में भाग 6.68 प्रतिशत, भारत निर्माण सेवा केन्द्र के कार्यों का प्रतिशत 0.03 तथा अन्य कार्यों की प्रतिशतता 0.88 रही। वर्ष 2011–12 में 47.27 प्रतिशत कार्य ग्रामीण सम्पर्कता से सम्बन्धित किये गये। 35.15 प्रतिशत जल संरक्षण तथा सम्बन्धित कार्य किये

गये। भूमि विकास सम्बन्धित कार्यो का प्रतिशत 7.17 रहा। अन्य कार्यो का प्रतिशत 0.09 रहा। वर्ष 2012–13 में ग्रामीण सम्पर्कता कार्यो का प्रतिशत 63.01 जल संरक्षण तथा जल सम्बन्धित अन्य कार्यो का प्रतिशत 28.82, भूमि विकास कार्यो का प्रतिशत 7.23, अन्य कार्यो का प्रतिशत 2.47 रहा। भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के कार्यो को (विभिन्न वित्तीय वर्षो में) सबसे कम वरीयता दी गई।

जनपद में कार्यो की प्रगति संतोषजनक है परन्तु अधिनियम की अनुसूची–1 में शामिल कार्यो के संचालन का क्रम ध्यान नहीं रखा गया है। मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत जल संरक्षण तथा जल संचय को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, परन्तु जनपद में संचालित कार्यो में इसका क्रम छठवाँ है। जनपद में सड़क सम्पर्कता पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। जबकि अधिनियम अनुसूची –1 में इसे आठवें क्रम में रखा गया है। यद्यपि मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यो में अधिनियम अनुसूची का ध्यान नहीं रखा गया परन्त फिर भी मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यो से ग्रामीण विकास तथा रोजगार सृजन में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु स्थानीय मजदूरों को ही रोजगार दिया जाता है, जो स्थानीय समस्याओ से स्वयं दो चार होते हैं। अतः वे विकास कार्यो को सम्पादित करने में पूरी निष्ठा से सहयोग देते हैं। अतः मनरेगा के माध्यम से न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिलता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होता है। मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो की रूपरेखा भी ग्राम पंचायत द्वारा बनाई जाती है जो स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं से भली भॉति परिचित होते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि ग्रामीण निवासियों द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र का विकास अपने ही द्वारा कार्य सम्पादित करके किया जाता है, केवल संसाधन सरकार की ओर से दिये जाते हैं।

फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सम्पत्ति सृजन का विश्लेषण

मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक 14721 कार्य शुरू किये गये जिनमैं से 13136 कार्य पूर्ण कर लिये गये। अतः मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो की पूर्णता दर 89.233 तथा कुल कार्यपूर्णता भार 0.508 रहा जो संतोषजनक है। ब्लॉक तथा वर्ष वार कार्यो की पूर्णता दर का प्रदर्शन तालिका संख्या 11 में प्रदर्शित है–

तालिका–11

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो केदौरान एम आई एस प्रतिवेदन मे पूर्ण कार्यो का विवरण

कार्यो की संख्या	2008–2009 तथापूर्व	2009–2010	2010–2011	2011–2012	2012–2013 (दिसम्बर तक)	कुल
शुरू	1063	3076	4443	4096	2043	14721
पूर्ण	1050	3062	4402	3953	669	13136
पूर्णता दर	98.77	99.54	99.07	96.50	32.74	89.23
कुल कार्यपूर्णता भार	.0.596	0.142	0.582	0.841	0.974	**0.508**

स्रोत– विभिन्न वर्षो के एम आई एस प्रतिवेदन

तालिका 10 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यो की पूर्णता दर सर्वाधिक वर्ष 2009–10 में 99.54 प्रतिशत रही। इस वर्ष 3076 कार्यो में से 3062 कार्य पूर्ण कर लिये गये जबकि वर्ष 2012–13 में कार्य पूर्णता दर सबसे कम 32.74 प्रतिशत रही। इस वर्ष शुरू किये 2043 कार्यो में से मात्र 669 कार्य ही पूर्ण किये गये।

चित्र–7जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यो कीपूर्णता दर

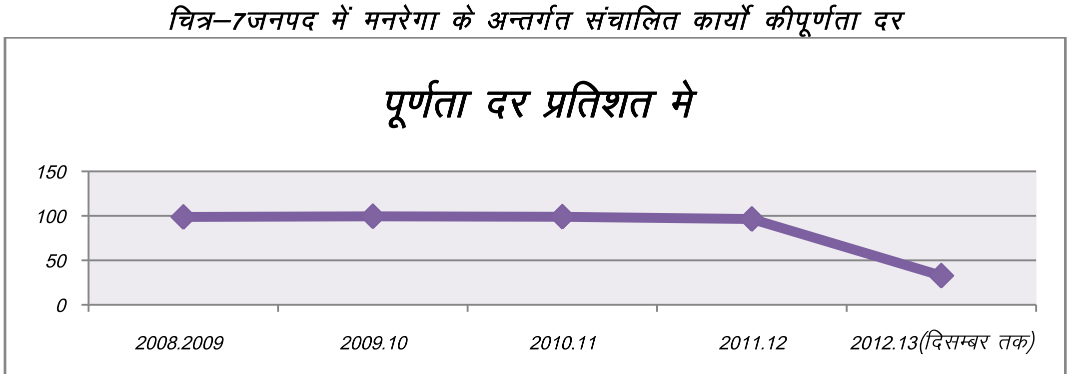

स्रोत : तालिका संख्या 11के आधार पर निर्मित

फिरोजाबाद जनपद में वर्ष 2012–13 के अतिरिक्त सभी वर्षो में कार्यो की पूर्णता दर उत्तम रही। वर्ष 2012–13 में ऑकड़ों के दिसम्बर माह में संकलित करने के कार्य पूर्णता दर कम पायी गई। यद्यपि कई कार्य पूर्णता की ओर थे तथा अनेक अन्य कार्य भी संतोषजनक ढ़ग से प्रगति कर रहे हैं। कुछ कार्य निर्धारित समय सूची में आंकलित समय से पीछे चल रहे हैं। फिरोजाबाद जनपद में वर्ष 2012–13 में कार्य पूर्णता की दर बहुत कम है कई कार्य अपने समय सूची से पीछे चल रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद में 2012–13 में कुल 880 कार्य ऐसे पाये गये जो अपनी समय सूची से पीछे चल रहे थे। कार्यो के निर्धारित समय सूची से पीछे चलने के मुख्य कारण सम्बन्धित अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों का ढीला रवैया है। कृषि कार्य की अधिकता के कारण भी कार्य की गति धीमी पड़ जाती है।

<u>फिरोजाबाद जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सम्पत्ति सृजन का विश्लेषण:</u>

मनरेगा एक बहुआयामी योजना है इसके अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्कता हेतु सड़क सिंचाई हेतु नहरें, जल संरक्षण तथा संचयन, पुराने जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, सूखा रोधन , बाढ़ नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित अनेक कार्य सम्पादित किये जाते हैं जिसके माध्यम से सतत् तथा स्थायी सम्पत्तियॉ सृजित की जाती है एवं सही मायने में ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी विकास होता है। मनरेगा के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों हेतु रूपरेखा स्थानीय ग्रामीण पंचायतों द्वारा ही बनाई जाती है जो न सिर्फ वहॉ की समस्याओं से परिचित होती है बल्कि वे स्थानीय आवश्यकताओं से भी भली भॉति परिचित होती है। कार्य का सम्पादन स्थानीय ग्रामीण श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, इसके अलावा ठेकेदारों की अनुपस्थिति भी कार्यो की स्थायित्व की दर बढ़ा देती है। अतः मनरेगा के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियॉ स्थायी तथा अच्छी गुणवत्ता की पायी गई। जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों का विवरण तालिका संख्या 12 में प्रदर्शित है।

तालिका–12

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो केदौरान सृजित परिसम्पत्तियॉ

कार्यो की संख्या	2010–11	2011–12	2012–13 (दिसम्बर तक)	कुल	प्रतिशत
ग्रामीण सम्पर्कता	1881	3224	1522	6627	51.40
जल संरक्षण तथा जल संचयन	170	418	124	712	5.52
परंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण	98	180	60	338	2.62
बाढ़ नियन्त्रण	69	172	19	260	2.02
सूखा रोधन	185	450	86	721	5.59
सिंचाई नहरें	108	522	146	776	6.02
सिंचाई सुविधा के लिये	959	1092	97	2148	16.66
भूमि विकास	234	791	171	1196	9.27
भारत निर्माण राजीव गाधी सेवा केन्द्र	0	3	2	05	0.04
अन्य कार्य	20	82	9	111	0.86
कुल कार्य	3724	6934	2236	12894	100

स्रोत– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद

चित्र–8

जनपद में मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न वर्षो केदौरान सृजित परिसम्पत्तियॉ(प्रतिशत मे)

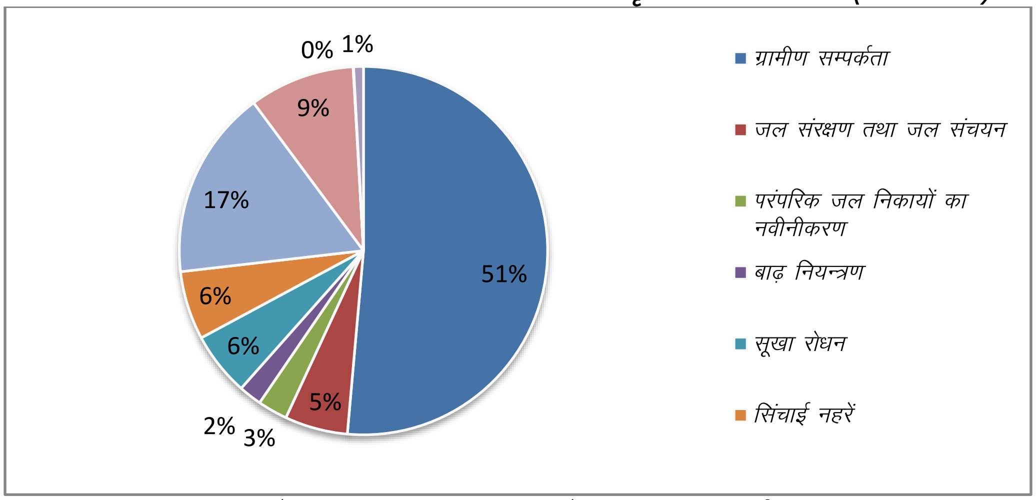

स्रोत : तालिका संख्या 12 के आधार पर निर्मित

जैसा तालिका 12 तथा चित्र–8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–13 के मध्य कुल 12894 सम्पत्तियॉ सृजित की गई जिनमें से वर्ष 2010–11 में 3724, वर्ष 2011–12 में 6934 तथा वर्ष 2012–13 में 2236 सम्पत्त्यिॉ सृजित की गई। जिसमें सबसे ज्यादा सम्पत्तियॉ ग्रामीण सम्पर्कता से सम्बन्धित थी अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों तथा रास्तों का सबसे ज्यादा निर्माण किया गया। स्पष्ट है कि जनपद में ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित निर्मित सम्पत्तियों का प्रतिशत 51.40 रहा इसके बाद अनुसूचित जाति/जनजाति/IAY/LR वर्ग के लिये सिंचाई सुविधाओं के क्षेत्र में 16.66 प्रतिशत सम्पत्तियॉ सृजित की गई, सबसे कम सम्पत्तियॉ भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के द्वारा सृजित की गई। जल तथा सम्बन्धित निर्माण में कुल 38.43 प्रतिशत सम्पत्तियॉ सृजित की गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सृजित सम्पत्तियों का प्रतिशत 50 से अधिक है। भूमि विकास के क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में 234, 2011–12 में 791, वर्ष 2012–13 में 171 सम्पत्तियॉ सृजित की गई। इस प्रकार कुल 1196 सम्पत्तियॉ सृजित की गई। कुल सम्पत्तियों में इसका प्रतिशत 9.27 है।

निष्कर्ष –

मनरेगा ग्रामीण गरीबी को रोजगार गारंटी के माध्यम से दूर करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा ग्रामीण विकास के लिये उसी तरह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा जैसा कि हरित क्रान्ति। मनरेगा के माध्यम से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नई–2 परिसम्पत्तियों का निमार्ण कार्य हो रहा है बल्कि इसके माध्यम से अनेक गरीब ग्रामीण वेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह मनरेगा ग्रामीण विकास के साथ साथ ग्रामीण रोजगार के स्तर को बढाकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली व्यापक गरीबी को भी दूर करने में मदद कर रहा है परन्तु मनरेगा अधिनियम के अर्न्तगत रोजगार पाने वालेश्रमिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।मनरेगा में दिया जाने वाले रोजगार दिवस भी पर्याप्त नही है। इसके माध्यम से केवल 100 दिवस ही रोजगार की व्यवस्था की बात कही गयी है, अतः 265 दिवस गरीब ग्रामीण जन वेरोजगार है।यद्यपि 2005 से प्रारम्भ मनरेगा योजना को सफल बनाने के लिये भारत सरकार ने भरसक प्रयत्न किये हैं। परन्तुभ्रष्टाचार,तकनीकी ज्ञान की कमी, जागरूकता की कमी,संसाधनों का दोषपूर्ण आवंटन, सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु अपर्याप्त वित्तीय व्यवस्थाजैसी समस्यायेंअभी भी फिरोजाबाद जनपद में महात्मा गॉंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की आर्थिक प्रगति के मार्ग मे बाधकहैं।

संदर्भ सूची–

- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, फिरोजाबाद
- www.nrega.nic.in.
- नरेगा की गाइडलाइन,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 1–33.
- वार्षिक प्रतिवेदन 2007 –2008,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 3–15.
- नरेगासमीक्षाAn Anthology of Reserch studies on the Mehatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार..

- Bhatia, K., and A. Adhikari, 'NREGA Wage Payments : Can We Bank on the Banks', Economic and Political Weekly, Vol. 65, no. 1, 2 January 2010.
- Ambasta, P., P.S. Vijay Shankar, and M. Shah, 'Two Years of NREGA : The Road Ahead', Economic and Political Weekly, vol. 43 no. 8, 23 February 2008.
- Comptroller and Auditor Genral of India (CAG), 'Performance Audit of Implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)', Performance Audit Report No. 11, CAG, 2008.